कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0 भोपाल

E-mail: mpse@mp.nic.in, Website : www.mpbse.nicc.in
कार्या. टेलीफोन – (0755) 2551166-71, **फैक्स** - (0755) 2554398,2552061

क्रमांक/प्रशा./स्था ./ए- /3042 /2023

भोपाल, दिनांक 11 / 12 /2023

// विज्ञप्ति //

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश में पूर्णकालिक विधि सलाहकार की सेवाएं एक वर्ष के लिये संविदा मानदेय (सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से वर्तमान पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी, वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी) में अनुबंध के आधार पर की जानी है। इस हेतु सेवानिवृत्ति अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या समकक्ष न्यायिक अधिकारी के पद पर जिनकी आयु दिनांक 01.01.2024 को 64 वर्ष से अधिक न हो, से आवेदन निर्धारित तिथि 26.12.23 अपरान्ह 05.30 बजे तक सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कार्यालय में आमंत्रित है।

विधि सलाहकार के संबंध में मापदण्ड, शर्ते एवं चयन प्रक्रिया एवं आवेदन–पत्र/घोषणा–पत्र मण्डल की वेबसाइट www.mpbse.nic.in पर देखी जा सकती है।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश
भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल में विधि सलाहकार संविदा नियुक्ति हेतु मापदण्ड

मण्डल के विभिन्न न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में समुचित विधिक कार्यवाही हेतु मण्डल के कार्यालय में विधि कार्य के लिये विधि सलाहकार की व्यवस्था की जाना है इसके लिये पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के तहत विधि सलाहकार की संविदा नियुक्ति सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या समकक्ष न्यायिक अधिकारी की संविदा नियुक्ति निर्धारित मापदण्डों पर की जाना है जो निम्नानुसार है :-

मापदण्ड :-

(1) मण्डल में विधि सलाहकार के पद पर सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या समकक्ष न्यायिक अधिकारी से सेवानिवृत्त आवेदन कर सकेंगे।

(2) संविदा नियुक्ति के लिए पात्रता हेतु आवेदक को निम्नानुसार मापदण्ड पूर्ण करना होंगे :-

(क) आवेदक सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश या समकक्ष न्यायिक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो।

(ख) स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में हो (नियुक्ति के समय मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।)

(ग) सम्पूर्ण सेवाकाल में किसी भी दीर्घ शास्ति से दण्डित नहीं किया गया है। स्वंय हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

(घ) दिनांक 01.01.2024 को 64 वर्ष से अधिक आयु न हो।

संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार होगी :-

(1) संविदा वेतन निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से वर्तमान पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी, वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी। इस संविदा वेतन पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होगा।

(2) संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह का सूचना पत्र या एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(3) अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी।

(4)यात्रा भत्ते की पात्रता उसकी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।

(5) संविदा पर नियुक्ति व्यक्तियों पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे।

(6) संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 45 दिन तक प्रभावशील होगा इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा, विशेष एवं अपरिहार्य कारण होने पर सचिव उक्त अवधि में छूट दे सकेंगे।

(7) संविदा अवधि में मण्डल कार्य संपादन हेतु इंडिका या समकक्ष वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें पात्रता अनुसार निर्धारित 80 लीटर डीजल/पेट्रोल देय होगा।

(8) संविदा सेवा में नियुक्ति के लिए अवधि एक वर्ष होगी, जिसमें मण्डल अध्यक्ष एक वर्ष की वृद्धि अधिकतम दो बार प्रदान कर सकेंगे।

(9) आवेदन के साथ उम्मीदवार को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसे सम्पूर्ण सेवाकाल में किसी भी दीर्घ अथवा लघु शस्ति से दण्डित नहीं किया गया है।

(10) विधि सलाहकार को पूर्णकालिक तौर पर मण्डल कार्यालय में कार्यालयीन समय (10:00 से 06:00 बजे) पर उपस्थित रहकर कार्य दायित्व निष्पादित करना अनिवार्य होगा।

(11) विशेष परिस्थितियों / जटिल विषयों के संबंध में मण्डल के पक्ष में वरिष्ठ अभिभाषकों से संपर्क, विचारविमर्श आदि कार्य किया जाना होगा।

(12) मण्डल के विभिन्न् न्याकयालयीन प्रकरणों में मण्डल की ओर से प्रतिरक्षण बाबत् समस्तं कार्यवाहियां समय पर कराया जाना एवं इस हेतु सचिव के अनुमोदन समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने की जिम्मेंदारी विधि सलाहकार की होगी।

(13) चयन के उपरांत न्यूणनतम एक वर्ष के लिये कार्य अनुबंध किया जाना अनिवार्य होगा।

(14) मध्यप्रदेश शासन, सामान्यय प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी–5–2 / 2018 / 1 / 3 भोपाल दिनांक 22 जुलाई 2023 पर राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर नियुक्तं अधिकारियों / कर्मचारियों के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश लागू होंगे।

चयन का अधिकार बोर्ड में सुरक्षित रहेगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश
भोपाल